उत्तर प्रदेश शासन,

आबकारी अनुभाग-1

संख्या- 10/2016/279 ई-।/तेरह-2015-499(20)/98 टी.सी.

लखनऊ :: दिनांक :: 17 फरवरी, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (पांचवॉं संशोधन) नियमावली-2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (पाँचवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन	2. उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा नियमावली-1983, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में प्रस्तावना, दीर्घ शीर्षक, नियम-1 के उप-नियम (1) और नियम-3 के खण्ड (ज) सहित में जहॉं कहीं भी शब्द "उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक" आया हो, के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक" रख दिया जायेगा।
नियम-2 का प्रतिस्थापन **सेवा की प्रास्थिति**	3. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-2 के स्थान पर नीचे दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात;- 2. उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।
नियम-3 का संशोधन	4. उक्त नियमावली में, नियम-3 में - (एक) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) किसी प्रभार के आबकारी सिपाही और ड्राइवर के सम्बन्ध में "नियुक्ति	(क) किसी प्रभार के आबकारी सिपाही के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी"

http://shasanadesh.up.nic.in

	प्राधिकारी'' का तात्पर्य प्रभार के उप आबकारी आयुक्त से है और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के कार्यालय में तैनात अपर आबकारी आयुक्त, मुख्यालय से है।	का तात्पर्य प्रभार के उप आबकारी आयुक्त से है और सेवा में अन्य पदों के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के कार्यालय में तैनात अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), मुख्यालय से है ;
	(दो) विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (ख-1) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:- ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ;	
नियम-4 का संशोधन	5. उक्त नियमावली में नियम-4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात; -	

स्तम्भ-1 **विद्यमान उप-नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
(2) जब तक कि उप-नियम 1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :-	2) जब तक कि उप-नियम 1 के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है :-

पद का नाम	स्थाई	अस्थाई	योग
1- ताड़ी पर्यवेक्षक	24	-	24
2-प्रधान आबकारी सिपाही	22	2	24
3- आबकारी सिपाही	1532	191	1723
4- ड्राइवर	60	32	92

परन्तु यह कि :-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड. सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या
(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें ।

पद का नाम	स्थाई	अस्थाई	योग
1- ताड़ी पर्यवेक्षक	19	-	19
2-प्रधान आबकारी सिपाही	19	782	801
3- आबकारी सिपाही	1111	1030	2141

परन्तु यह कि :-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड. सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,
अथवा
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम-5 का प्रतिस्थापन	6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत	5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :- (क) प्रधान आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक-मौलिक रूप से नियुक्त आबकारी सिपाहियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (ख) आबकारी सिपाही- सीधी भर्ती द्वारा। (ग) ड्राइवर - सीधी भर्ती द्वारा।	भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :- (क) प्रधान आबकारी सिपाही और ताड़ी पर्यवेक्षक-मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आबकारी सिपाहियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। (ख) आबकारी सिपाही- सीधी भर्ती द्वारा।

नियम-8 का प्रतिस्थापन	7. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक एवं अन्य अर्हता	8. आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी – (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद**,** उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) ड्राइवर के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –	शैक्षिक अर्हता 8. आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

	(क) कक्षा आठ उत्तीर्ण हो (ख) तीन वर्ष से ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो	
नियम-9 का प्रतिस्थापन	8. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 **.विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
अधिमानी अर्हता	9. (1) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने - (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम् अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (2) अन्य बातों के समान होने पर ड्राइवर के पद पर सीधी भर्ती के लिये ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने - (क) सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो और (ख) मोटर यन्त्र रचना का ज्ञान हो	**अधिमानी अर्हता** 9. (1) अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नियम-10 का प्रतिस्थापन	**9.** उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 **.विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
आयु	**10**. सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को- (एक) ड्राइवर के पद के लिये 21 वर्ष की आयु अवश्य पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, और (दो) सेवा में किसी अन्य पद पर भर्ती के लिये 18 वर्ष की आयु अवश्य पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए-	**आयु** 10. सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित

http://shasanadesh.up.nic.in

	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

नियम-14 का प्रतिस्थापन	10. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 **.विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
रिक्तियों का अवधारण	14- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित भी करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को निम्न रीति में अधिसूचित की जायेंगी :- (एक) व्यापक परिचालन रखने वाले दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा। (दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा और (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके ।	**रिक्तियों का अवधारण** 14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को उन्हें सूचित किया जायेगा। परन्तु यह कि यदि किसी समय आबकारी सिपाही का पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम,2014 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-20, 2014) की धारा 2 के परन्तुक के अधीन आयोग की परिधि से बाहर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जायेंगी :- (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके। (दो) कार्यालय के सूचना पट पर

http://shasanadesh.up.nic.in

		सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा। (तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके ।

नियम-15 का प्रतिस्थापन	11. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
सीधी भर्ती की प्रक्रिया	15.(1) सेवा में चालक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली, 1993 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। (2)(एक) सेवा में आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (क) उप आबकारी आयुक्त – अध्यक्ष (ख) आबकारी आयुक्त द्वारा नामित दो सहायक आबकारी आयुक्त – सदस्य **टिप्पणी** :- चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। (दो) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से चयन के लिये एक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी। चयन के लिये परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार को मिलाकर 100	**सीधी भर्ती की प्रक्रिया** 15. आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिये सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी। परन्तु यह कि चयन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 में यथाविद्यमान शारीरिक परीक्षा के सम्बन्ध में दिये गये उपबन्ध भी सम्मिलित किये जायेंगे। परन्तु यह और कि यदि किसी समय आबकारी सिपाही का पद, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 2014) की धारा 2 के परन्तुक के अधीन आयोग की परिधि से बाहर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सेवा में आबकारी सिपाही के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि उत्तर प्रदेश

http://bhasanadesh.up.nic.in

	अंकों का होगा। (तीन) चयन समिति पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी। शारीरिक परीक्षा दौड़, लम्बी कूद और क्रिकेट बाल थ्रो को मिलाकर साठ अंकों की होगी। इस शारीरिक परीक्षा के लिये मदवार अंक निम्नलिखित रीति में प्रदान किये जायेंगे :- **पुरूष अभ्यर्थियों के लिये-**	आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2008 में दी गयी है।

(क) दौड़	समय (मिनट में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
कुल दूरी 4.8 कि0मी0 (3 मील)	30 27 24 21	12 15 18 20
(ख) लम्बी कूद	दूरी (फिट में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
	15 17 18	12 16 20
(ग) क्रिकेट बाल थ्रो	दूरी (मीटर में)	प्रदान किये जाने वाले अंक
	61 63 65	12 16 20

महिला अभ्यर्थियों के लिये:-

(क) दौड़	समय	प्रदान किये जाने वाले अंक
कुल दूरी 200 मीटर	52 सेकेण्ड 50 सेकेण्ड 48 सेकेण्ड	12 15 18

http://shasanadesh.up.nic.in

	46 सेकेण्ड	20
(ख) लम्बी कूद (मीटर के फुट में गणना के अनुसार)	दूरी 8 फुट 9.5 फुट 10.0 फुट	प्रदान किये जाने वाले अंक 12 16 20
(ग) क्रिकेट बाल थ्रो	निर्धारित दूरी 12 मीटर 13 मीटर 14 मीटर	प्रदान किये जाने वाले अंक 12 16 20

(चार) चयन समिति उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जो खण्ड तीन में निर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा में योग्य पाये गये हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगी। साक्षात्कार 40 अंकों का होगा।

साक्षात्कार में अंक निम्नलिखित रीति में प्रदान किये जायेंगे :-

(क) विषय/सामान्य ज्ञान– अधिकतम दस अंक
(ख) व्यक्तित्व् परीक्षा– अधिकतम दस अंक
(ग) अभिव्यक्ति की क्षमता– अधिकतम दस अंक
(घ) अधिकारिक रूप से प्रमाणित असाधारण योग्यता– अधिकतम दस अंक

(पांच) खण्ड (चार) के अधीन साक्षात्कार में दिये गये अंक खण्ड (तीन) के अधीन शारीरिक परीक्षा में दिये गये अंकों में जोड. दिये जायेंगे।

(छः) चयन समिति नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेंणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खण्ड (पांच) के अधीन, जैसा उनके

http://shasanadesh.up.nic.in

	द्वारा प्राप्त अंकों के योग द्वारा प्रकट हो, श्रेष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो अभ्यर्थी जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। चयन समिति सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	

नियम-16 का प्रतिस्थापन	12. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-16 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-	
	स्तम्भ-1 **.विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16- (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– (एक) अपर आबकारी आयुक्त – अध्यक्ष (दो) सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक एवं अधिष्ठान) - सदस्य (तीन) मुख्यालय पर तैनात एक सहायक आबकारी आयुक्त जो आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा – सदस्य (2) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली) 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा । (3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर	**पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-** 16-(1) (एक) प्रधान आबकारी सिपाही तथा ताड़ी पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (क) अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) – अध्यक्ष (ख) सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक एवं अधिष्ठान) - सदस्य (ग) आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट मुख्यालय पर तैनात एक सहायक आबकारी आयुक्त– सदस्य टिप्पणी:- चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को

http://shasanadesh.up.nic.in

	सकती है। (4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा । (3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम-17 का प्रतिस्थापन **नियुक्ति**	13. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-17 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- 17.(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा। (2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा जैसा यथास्थिति, चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

नियम-19 का प्रतिस्थापन	14. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-19 के स्थान पर नीचे दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-
परिवीक्षा	19(1) – सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा। (2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। (3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की सेवा करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

नियम-20 का प्रतिस्थापन **स्थायीकरण**	15. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-20 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- 20(1) उप नियम-2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अंत में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :-

http://shasanadesh.up.nic.in

	(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। (2) जहाँ उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों के स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

नियम-21 का प्रतिस्थापन **ज्येष्ठता**	16. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- 21. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

नियम-22 का प्रतिस्थापन **वेतनमान 22 (1)**	17. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-22 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- 22-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। (2) उत्तर प्रदेश आबकारी सिपाही, ड्राइवर और ताड़ी पर्यवेक्षक सेवा (पाँचवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-		
पद का नाम	**वेतनमान**		
	वेतन बैण्ड का नाम	**तत्सदृश वेतन बैण्ड (रू0)**	**तत्सदृश ग्रेड वेतन (रू0)**
(1) आबकारी सिपाही	वेतन बैण्ड –1	5200-20200	1900/-
(2) प्रधान आबकारी सिपाही/ताड़ी पर्यवेक्षक	वेतन बैण्ड –1	5200-20200	2000/-

नियम-24 का निकाला जाना

18. उक्त नियमावली में विद्यमान नियम-24 निकाल दिया जायेगा।

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in